74/17 सरकार vs हरजीराम

28-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालंत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा में पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 8 से 11 एवं 13 से 36 एकतरफा। शेष विप्रार्थी संख्या 7 व 12 के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये जानें के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि आवेदन में दर्शित रकबानुसार का आमजन आने जाने हेतु रासते हेतु उपयोग करते है और मौके पर भी सड़क चल रही है,लेकिन राजस्व रिकार्ड में किस्म बा.दोयम दर्ज है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित भूमि की किस्म बा.दोयम के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज की जावें।

हमने प्रार्थी पक्ष को सुना। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि आवेदन में दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म बा.दोयम दर्ज है। प्रस्तावित रकबा का आमजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग मे लिया जा रहा है,और तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी उक्त रकबे की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने की सिफारिश की गई है। एवं विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रस्तावित रकबे की किस्म गै.मु. रास्ता किये जाने में कोई आपर्ति नहीं है। यदि आपर्ति होती तो न्यायालय मे हाजिर होकर चाराजोही करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है। कि प्रस्तावित रकबेनुसार मौके पर रास्ता चल रहा है। ऐसी सूरत में न्यायालय को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपर्ति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत/केम्प स्थल–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प सिणधरी चारणान)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 74/2017

क्रमांकः/राजस्व/2018/ दिनांक

–::आदेश::–

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205–40 दिनांक 10.10.2016 प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम भूंकरो की ढाणी पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2070–2073 के अनुसार निम्नांकित भूमि निजी खातेदार में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रासता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप 3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130, 131, एवं 136 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम भूंकरो की ढाणी पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी की निम्नांकित दर्शित निजी खातेदारी को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	हमीरा फूआ विरधा पि. चिमना कौम राईका सा.देह खातेदार	62	5-17	बा.दोयम	0-02	गै.मु.रास्ता
2	हिमताराम सोना पि. गुमना कौम जाट सा. कौशलू खातेदार	31/653	104-04	बा.दोयम	1-11	गै.मु.रास्ता
3	उकाराम विरधाराम पि. राजूराम कौम राईका सा. सडा झूण्ड खातेदार	32	43-03	बा.दोयम	0-14	गै.मु.रास्ता
4	लेहरो बेवा हीरा कबू पुत्री हीरा माना गिरधारी नरीगा शिवजी पि. चैना कौम राईका सा. देह खातेदार	35/668	49-18	बा.दोयम	0-13	गै.मु.रास्ता
5	अशोक पुत्र पदमा पूनमा पुत्र लाखा हि. 1/3 मूला खंगारा पि. लाधा मु. लेहरो बेवा लाधा बगता पुत्र शेम्भू हि. 1/3 बीजाराम भीमाराम	35	180-11	बा.दोयम	0-12	गै.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

	आदूराम पि. काहबाराम हि. 1/3 कौम राईका सा.देह					गै.मु.रास्ता
6	गोमाराम बाबूराम पि. मगाराम चनणीदेवी पत्नी मगाराम गीगाराम अणदाराम हनुमानराम राउराम देवाराम पि. हरदानराम वल्द देदाराम सोनाराम पूनमाराम पि. खरताराम देदाराम गोद पुत्र पोलाराम गोरधन वल्द नवला हि. 1/2 आईदान वल्द करना हि. 1/2 कौम जाट सा. देह	38	159-12	बा.दोयम	1-18	

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

दिनांक

क्रमांकः/राजस्व/2018/

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner